भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

18.03.2026 के

अतारांकित प्रश्न सं. 4368 का उत्तर

इटावा और फतेहपुर रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाएँ

4368. श्री जितेंद्र दोहरे:

श्री नरेश चंद्र उत्तम पटेल:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश में रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को प्रदान की गई/प्रदान की जा रही सुविधाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इटावा और फतेहपुर जिलों में रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध यात्री सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा प्रतीक्षालयों, पेयजल, स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं जैसी मूलभूत सुविधाओं के उन्नयन और विस्तार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(घ) उक्त जिलों में अब तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दुर्घटना निवारण प्रणालियों, पटरियों के रखरखाव, स्टेशनों और ट्रेनों में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है; और

(च) यदि हां, तो विशेष रूप से इटावा और फतेहपुर जिलों में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (च) उत्तर प्रदेश में स्थित इटावा और फतेहपुर स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चिह्नित किया गया है।

इटावा स्टेशन पर, उच्च स्तरीय प्लेटफार्म, प्लेटफार्म शेल्टर, प्रतीक्षालय, पेयजल व्यवस्था, मूत्रालय, शौचालय, बैठने की व्यवस्था, पैदल पार पुल आदि उपलब्ध हैं। स्टेशन भवन का सुधार कार्य, द्वितीय प्रवेश द्वार पर नया भूतल+1 स्टेशन भवन, प्रतीक्षालय का सुधार, पे एंड यूज़ शौचालय, दिव्यांगजन शौचालय, नई पार्किंग, यात्री आरक्षण प्रणाली कक्ष का सुधार, मुख्य प्रवेश द्वार और द्वितीय प्रवेश द्वार पर परिचलन क्षेत्र का कार्य पूरा हो गया है। 12 मीटर के पैदल पार पुल का कार्य शुरू किया गया है।

फतेहपुर स्टेशन पर उच्च स्तरीय प्लेटफार्म, प्लेटफार्म शेल्टर, प्रतीक्षालय, पेयजल व्यवस्था, मूत्रालय, शौचालय, बैठने की व्यवस्था, पैदल पार पुल आदि उपलब्ध हैं।

फतेहपुर स्टेशन के विकास के लिए शुरू किए गए कार्य पूरे हो गए हैं जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- **मुख्य स्टेशन भवन का सुधार**
- **नया द्वितीय प्रवेश द्वार भवन**
- **नया प्लेटफार्म सं. 4**
- **परिचलन क्षेत्र और पार्किंग का सुधार**
- **दिव्यांगजन सुविधाएं**
- **12 मीटर पैदल पार पुल**

इटावा जिले में 11 स्टेशन अर्थात् बैदपुर, बलरई, भरथना, इकदिल, इटावा, घसारा हाल्ट, जसवंत नगर, सैफई, साम्हों, सराय भूपत और उदी मोड जं. हैं।

फतेहपुर जिले में 11 स्टेशन अर्थात् औंग, बिंदकी रोड, फैजलपुर, फतेहपुर, कंसपुर गुगौली, खागा, कुरस्ती कलां, मलवां, रसूलाबाद और सथ नरायणी हैं।

उपरोक्त स्टेशनों पर प्रतीक्षालय, प्लेटफार्म शेल्टर, पेयजल व्यवस्था, मूत्रालय, बैठने की व्यवस्था आदि सुविधाएं उपलब्ध हैं।

भारतीय रेल ने दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की है।

अभी तक, अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत विकास हेतु 1338 स्टेशनों को चिह्नित किया गया है जिसमें इटावा जिले के इटावा जंक्शन स्टेशन और फतेहपुर जिले के फतेहपुर स्टेशन सहित 157 स्टेशन उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। उत्तर प्रदेश में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत चिह्नित स्टेशनों के नाम निम्नानुसार हैं:

राज्य	स्टेशनों की संख्या	स्टेशनों के नाम
उत्तर प्रदेश	157	अछनेरा, आगरा कैंट, आगरा फोर्ट, ऐशबाग जं., अकबरपुर जं., अलीगढ, अमेठी, अमरोहा, आनंद नगर जं., आंवला, अयोध्या धाम जंक्शन, आज़मगढ़, बाबतपुर, बछरावां, बदांयू, बादशाहनगर, बादशाहपुर, बहेड़ी, बहराईच, बालामऊ जं., बलिया, बलरामपुर, बनारस, बांदा, बाराबंकी जं., बरेली, बरेली सिटी, बढ़नी, बस्ती, बेल्थरा रोड, भदोही, भरतकुंड, भटनी, भूतेश्वर, बिजनौर, बुलन्दशहर, चंदौली मझवार, चंदौसी, चिलबिला, चित्रकूट धाम कर्वी, चोपन, चुनार जं., डालीगंज, दर्शननगर, देवरिया सदर, धामपुर, दिलदारनगर, इटावा जं., फर्रुखाबाद, फतेहाबाद, फतेहपुर, फतहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, गजरौला, गढ़मुक्तेसर, गौरीगंज, घाटमपुर, गाजियाबाद, ग़ाज़ीपुर सिटी, गोला गोकर्णनाथ, गोमतीनगर, गोंडा, गोरखपुर, गोवर्धन, गोविंदपुरी, गुरसहायगंज, हैदरगढ़, हापुड, हरदोई, हाथरस सिटी, ईदगाह आगरा जंक्शन, इज्जतनगर, जंघई जंक्शन, जौनपुर सिटी, जौनपुर जंक्शन, कन्नौज, कानपुर

राज्य	स्टेशनों की संख्या	स्टेशनों के नाम
		अनवरगंज, कानपुर ब्रिज लेफ्ट बैंक, कानपुर सेंट्रल, कप्तानगंज जंक्शन, कासगंज जंक्शन, काशी, खलीलाबाद, खोरासों रोड, खुर्जा जंक्शन, कोसी कलां, कुंडा हरनामगंज, लखीमपुर, लालगंज, ललितपुर जंक्शन, लंभुआ, लोहता, लखनऊ (चारबाग) उत्तर रेलवे, लखनऊ सिटी, लखनऊ जंक्शन (पूर्वोत्तर रेलवे), मां बेल्हा देवी प्रतापगढ़ जंक्शन, मगहर, महाराजा बिजली पासी, महोबा जंक्शन, मैलानी जंक्शन, मैनपुरी जंक्शन, मल्हौर, मानक नगर, मानिकपुर जंक्शन, मारियाहू, मथुरा जंक्शन, मऊ जंक्शन, मेरठ सिटी जंक्शन, मिर्ज़ापुर, मोदीनगर, मोहनलालगंज, मुरादाबाद जंक्शन, मुजफ्फरनगर, नगीना, नजीबाबाद जंक्शन, उरई, पनकी धाम, फाफामऊ जंक्शन, फूलपुर, पीलीभीत जंक्शन, पोखरायां, प्रयाग जंक्शन, प्रयागराज जंक्शन, पं. दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, रायबरेली जंक्शन, राजा की मंडी, रामघाट हाल्ट, रामपुर जंक्शन, रेनुकूट, सहारनपुर जंक्शन, सलेमपुर, स्योहारा, शाहगंज जंक्शन, शाहजहाँपुर, शामली, शिकोहाबाद जंक्शन, शिवपुर, सिद्धार्थ नगर, सीतापुर जंक्शन, सोनभद्र, श्रीकृष्ण नगर, सुल्तानपुर जंक्शन, सुरेमनपुर, स्वामीनारायण छपिया, तकिया, तुलसीपुर, टूंडला जंक्शन, उझानी,

राज्य	स्टेशनों की संख्या	स्टेशनों के नाम
		ऊंचाहार, उन्नाव जंक्शन, उतरेतिया जंक्शन, वाराणसी कैंट, वाराणसी सिटी, विंध्याचल, वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी, व्यासनगर, जाफराबाद

<u>स्टेशन जहां कार्य पूरे किए गए हैं</u>:

उत्तर प्रदेश में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों पर विकास कार्य तेज गति से शुरू किए गए हैं। अब तक, इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 23 स्टेशनों पर कार्य पूरे किए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में स्टेशनों के नाम जहां कार्य निम्नानुसार पूरे किए गए हैं:

राज्य	स्टेशनों की संख्या	स्टेशनों के नाम
उत्तर प्रदेश	23	अयोध्या धाम जंक्शन, बलरामपुर, बरेली सिटी, बिजनौर, फतेहाबाद, फतेहपुर, गोला गोकर्णनाथ, गोमती नगर, गोवर्धन, गोविंदपुरी, हाथरस सिटी, ईदगाह आगरा जं., इज्जतनगर, खलीलाबाद, मैलानी जंक्शन, पनकी धाम, पुखरायां, रामघाट हॉल्ट, सहारनपुर जं., सिद्धार्थ नगर, सुरेमनपुर, स्वामीनारायण छपिया, उझानी

अन्य स्टेशनों पर भी विकास संबंधी गतिविधियां तेज गति से शुरू की गई हैं और उपर्युक्त में से कुछ स्टेशनों की प्रगति नीचे दी गई है:

- गाजियाबाद स्टेशन: मुख्य प्रवेश द्वार और दूसरे प्रवेश द्वार की ओर स्टेशन भवन का संरचनात्मक कार्य, टुंडला छोर पर नए पैदल पार पुल-बी का नींव संबंधी कार्य, रूफ प्लाजा, मौजूदा पैदल पार पुल-ए का विस्तार कार्य, मुख्य प्रवेश द्वार और दूसरे प्रवेश द्वार पर विद्युत सब-स्टेशन को अंतिम रूप देने का कार्य, मजिस्ट्रेट भवन, राजकीय रेल पुलिस और रेल सुरक्षा बल के भवनों का कार्य शुरु किया गया है।
- रामपुर जंक्शन स्टेशन: नए स्टेशन भवन का निर्माण कार्य, प्लेटफॉर्म शेल्टर, प्लेटफॉर्म सतह, बुकिंग कार्यालय, प्रतीक्षालय और शौचालय का कार्य पूरा हो चुका है। परिचलन क्षेत्र और पैदल पार पुल के कार्य शुरू किए गए हैं।
- शाहजहांपुर स्टेशन: प्लेटफॉर्म संख्या 1 और 2 / 3 पर प्लेटफॉर्म शेल्टर और सतह के कार्य पूरे हो चुके हैं। स्टेशन भवन का सुधार कार्य, दूसरे प्रवेश द्वार पर नए स्टेशन भवन, परिचलन क्षेत्र और पैदल पार पुल के कार्य शुरू किए गए हैं।
- शिकोहाबाद जंक्शन स्टेशन: नए स्टेशन भवन का निर्माण कार्य, प्लेटफॉर्म संख्या 1/2 की सतह का कार्य, परिचलन क्षेत्र में सुधार, पार्किंग और दिव्यांगजन सुविधाओं का कार्य पूरा हो चुका है। 12 मीटर पैदल पार पुल का कार्य शुरू कर दिया गया है।

अमृत भारत स्टेशन योजना में स्टेशनों में सुधार लाने के लिए मास्टर योजना तैयार करना और उनका चरणबद्ध कार्यान्वयन शामिल है। इस मास्टर योजना में निम्नानुसार शामिल हैः

- स्टेशन और परिचलन क्षेत्रों तक पहुंच में सुधार
- स्टेशन का शहर के दोनों भागों के साथ एकीकरण
- स्टेशन भवन में सुधार

- प्रतीक्षालयों, शौचालयों, बैठने की व्यवस्था, पानी के बूथों में सुधार
- यात्री यातायात के अनुरूप चौड़े पैदल पार पुल/एयर कॉनकोर्स का प्रावधान
- लिफ्ट/स्वचालित सीढ़ियों/रैंप का प्रावधान
- प्लेटफॉर्म की सतह में सुधार/प्रावधान और प्लेटफॉर्म के ऊपर कवर
- 'एक स्टेशन एक उत्पाद' जैसी योजनाओं के माध्यम से स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क का प्रावधान
- पार्किंग क्षेत्र, यातायात के विभिन्न साधनों के साथ एकीकरण
- दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं
- बेहतर यात्री सूचना प्रणाली
- प्रत्येक स्टेशन पर आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक्जीक्यूटिव लाउंज, व्यावसायिक बैठकों के लिए नामित स्थान, भूसुदर्शनीकरण आदि का प्रावधान

इस योजना में आवश्यकतानुसार, चरणबद्ध एवं व्यवहार्य रूप से दीर्घकालिक और पर्यावरण अनुकूल समाधान, गिट्टी रहित रेलपथ का प्रावधान आदि तथा दीर्घावधि में स्टेशन पर सिटी सेंटर के निर्माण की परिकल्पना भी की गई है।

यात्रियों के लिए सुविधाएँ निर्धारित मानकों के अनुसार प्रदान की जाती हैं, जो स्टेशन की श्रेणी, स्टेशन पर संभाले जाने वाले यात्रियों की संख्या और स्टेशन की विशिष्ट आवश्यकताओं पर निर्भर करती हैं। भारतीय रेल में उत्तर प्रदेश में आने वाले स्टेशनों सहित, आमतौर पर स्टेशनों पर सुविधाएँ अच्छी तरह से उपलब्ध कराई गई हैं। उच्च स्तर के प्लेटफार्म और पैदल पार पुल की व्यवस्था चरणबद्ध तरीके से पूरी करने का अनुमान है।

भारतीय रेल भारत सरकार के "सुगम्य भारत मिशन" या 'सुगम्य भारत अभियान' के तहत दिव्यांगजनों और सीमित गतिशीलता वाले यात्रियों के लिए अपने रेलवे स्टेशनों को सुगम्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुपालन में, भारत के राजपत्र में "दिव्यांगजनों और सीमित गतिशीलता वाले यात्रियों के लिए भारतीय रेल के रेलवे

स्टेशनों की सुगम्यता और सुविधाओं संबंधी दिशानिर्देश" परिपत्रित और अधिसूचित किए गए हैं। इन दिशानिर्देशों में दिव्यांगजनों और सीमित गतिशीलता वाले यात्रियों के लिए सुविधाओं जैसे प्रवेश रैम्प, सुगम्य पार्किंग, कम ऊंचाई वाली टिकट खिड़की/सहायता बूथ, शौचालय, पेयजल बूथ, रैम्प/लिफ्टों के साथ भूमिगत पैदल पारपथ/ऊपरी पैदल पुल, ब्रेल संकेतकों सहित मानक प्रदर्श-व्यवस्था और दृष्टि बाधित लोगों के लिए स्पर्शनीय पथ आदि का प्रावधान किया गया है जो चरणबद्ध रूप से और व्यवहार्य सिद्धांतों के आधार पर प्रदान किए जा रहें।

इसके अलावा, भारतीय रेल में प्रतीक्षालय, पेयजल व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था आदि यात्री सुविधाओं सहित स्टेशन का विकास/पुनर्विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण सतत और चलायमान प्रक्रिया है और इस संबंध में कार्य सापेक्ष प्राथमिकता और धन की उपलब्धता के अध्यधीन, आवश्यकता के अनुसार शुरू किए जाते हैं। रेलवे स्टेशनों के विकास/पुनर्विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण कार्य स्टेशन की कोटि/स्थिति/सम्हाले जाने वाले यातायात आदि के आधार पर किए जाते हैं।

स्टेशनों का विकास/उन्नयन जटिल प्रकृति का होता है जिसमें यात्रियों और रेलगाड़ियों की संरक्षा शामिल होती है और इसके लिए दमकल विभाग, धरोहर, पेड़ों की कटाई, विमानपत्तन स्वीकृति इत्यादि जैसी विभिन्न सांविधिक स्वीकृतियों की आवश्यकता होती है। इनकी प्रगति जनोपयोगी सेवाओं (जिनमें जल/सीवेज लाइन, ऑप्टिकल फाइबर केबल, गैस पाइपलाइन, विद्युत/सिगनल केबल इत्यादि शामिल हैं) को स्थानांतरित करना, अतिलंघन, यात्री संचलन को बाधित किए बिना रेलगाड़ियों का परिचालन, उच्च वोल्टेज बिजली लाइनों के निकट किए जाने वाले कार्यों के कारण गति प्रतिबंध आदि जैसी ब्राउन फील्ड संबंधी चुनौतियों के कारण भी प्रभावित होती है और ये कारक कार्य के समापन समय को प्रभावित करते हैं।

अमृत भारत स्टेशन योजना सहित स्टेशनों का विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण सामान्यतः योजना शीर्ष-53 'ग्राहक सुविधाएं' के अंतर्गत वित्तपोषित किया जाता है। योजना शीर्ष-53 के अंतर्गत आबंटन और व्यय का विवरण क्षेत्रीय रेलवे-वार रखा जाता है, न कि कार्य-वार या स्टेशन-वार या निर्वाचन क्षेत्र-वार या राज्य-वार। उत्तर प्रदेश राज्य पाँच क्षेत्रीय रेलों नामतः पूर्व मध्य रेलवे, उत्तर रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे और पश्चिम मध्य रेलवे के अधिकार क्षेत्र में आता है। इन क्षेत्रीय रेलों के लिए वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 3,794 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है, जिसमें से अब तक (फरवरी, 2026 तक) 3,694 करोड़ रुपए का व्यय उपगत किया गया है।

<u>संरक्षा</u>:

भारतीय रेल में संरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। पिछले कुछ वर्षों में किए गए विभिन्न संरक्षा उपायों के परिणामस्वरूप, दुर्घटनाओं की संख्या में भारी गिरावट आई है।

परिणामी रेलगाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या कम हो गई है जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

वर्ष	परिणामी दुर्घटनाएं
2014-15	135
2025-26 (28.02.2026 तक)	14 (90% की कमी)

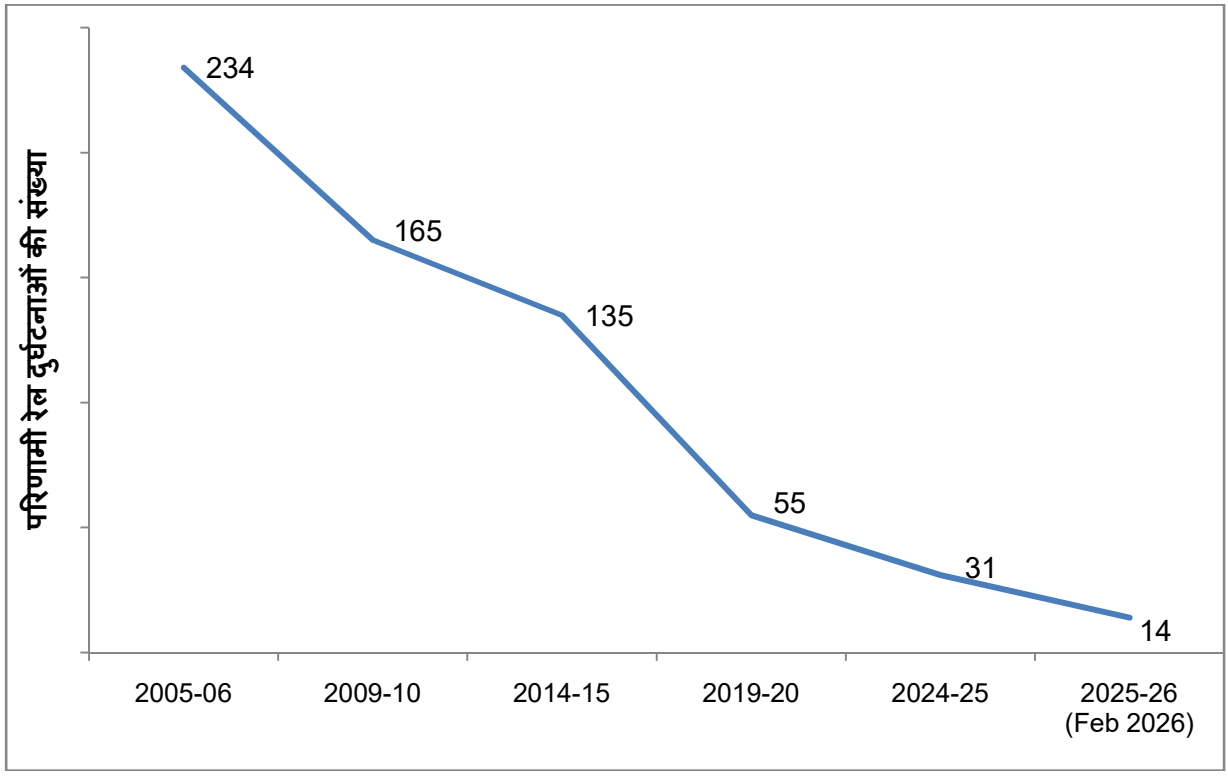
रेलगाड़ी परिचालन में संरक्षा में सुधार दर्शाने वाला एक अन्य महत्वपूर्ण सूचकांक परिणामी दुर्घटना सूचकांक है, जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है:-

परिणामी दुर्घटना सूचकांक:-

वर्ष	दुर्घटना सूचकांक
2014-15	0.11
2024-25	0.03 (73% की कमी)

यह सूचकांक सभी रेलगाड़ियों के कुल चालन किलोमीटर के अनुपात के रूप में परिणामी दुर्घटनाओं की संख्या को मापता है।

दुर्घटना सूचकांक = परिणामी दुर्घटनाओं की संख्या / रेलगाड़ियों की संख्या x मिलियन किलोमीटर चालन



रेलगाड़ी परिचालन में संरक्षा का संवर्धन करने के लिए किए गए विभिन्न संरक्षा संबंधी उपाय निम्नानुसार हैं:-

1. भारतीय रेल में पिछले कुछ वर्षों में संरक्षा संबंधी गतिविधियों पर व्यय को बढ़ाया गया है, जो निम्नानुसार है:-

संरक्षा संबंधी गतिविधियों पर व्यय/बजट (करोड़ रु. में)					
2013-14	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27
39,200	87,336	1,01,662	1,14,022	1,17,693	1,20,389

2. मानवीय चूक के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने के लिए, 28.02.2026 की स्थिति के अनुसार 6,665 रेलवे स्टेशनों पर कांटों एवं सिगनलों के केंद्रीकृत परिचालन के साथ विद्युत/इलेक्ट्रॉनिक अंतर्पाशन प्रणाली की व्यवस्था की गई है।

3. समपार रेलफाटकों पर संरक्षा का संवर्धन करने के लिए, 28.02.2026 की स्थिति के अनुसार 10,153 समपार रेलफाटकों पर अंतर्पाशन की व्यवस्था की गई है।

4. संरक्षा का संवर्धन करने के लिए 28.02.2026 की स्थिति के अनुसार 6,669 रेलवे स्टेशनों पर विद्युत साधनों द्वारा रेलपथ अधिभोग के सत्यापन द्वारा रेलवे स्टेशनों के पूर्ण रेलपथ परिपथन की व्यवस्था की गई है।

5. भारतीय रेल ने स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित रेलगाड़ी सुरक्षा प्रणाली को लागू करने का निर्णय लिया है, जिसके लिए सर्वोच्च स्तर के संरक्षा प्रमाणन (एसआईएल-4) की आवश्यकता थी। कवच को जुलाई, 2020 में राष्ट्रीय एटीपी प्रणाली के रूप में अपनाया गया। दक्षिण मध्य रेल के 1465 मार्ग किलोमीटर पर कवच संस्करण 3.2 के संस्थापन और प्राप्त अनुभव के आधार पर आगे और सुधार किए गए। अंततः आरडीएसओ द्वारा दिनांक 16.07.2024 को कवच विशिष्टि संस्करण 4.0 को अनुमोदित किया गया। व्यापक और विस्तृत परीक्षणों के बाद, कवच संस्करण 4.0 को उच्च घनत्व वाले दिल्ली-मुंबई और दिल्ली-हावड़ा मार्गों को कवर करते हुए 1452 मार्ग किलोमीटर पर निम्नानुसार सफलतापूर्वक चालू किया गया है।

क्र.सं.	खंड	प्रगति (मार्ग कि.मी.)
(1)	दिल्ली-मुंबई मार्ग:	
i	जंक्शन केबिन - पलवल - मथुरा - नागदा खंड	667
ii	वडोदरा - अहमदाबाद खंड	96
iii	वडोदरा - विरार खंड	336
(2)	दिल्ली-हावड़ा मार्ग:	
i	गया सरमाटांड़ खंड	93
ii	छोटा अम्बाना - बर्द्धमान - हावड़ा खंड	260

इसके अलावा, भारतीय रेल के सभी जीक्यू, जीडी, एचडीएन और चिह्नित रेलखंडों को कवर करते हुए 24,427 मार्ग किलोमीटर पर कवच के रेलपथ साइड कार्यों का कार्यान्वयन प्रारंभ किया गया है।

6. सिगनल प्रणाली की संरक्षा से संबंधित मुद्दों जैसे अनिवार्य समरूपता जांच, परिवर्तन कार्य प्रोटोकॉल, समापन आरेखण तैयार करने आदि के संबंध में विस्तृत अनुदेश जारी किए गए हैं।

7. प्रोटोकॉल के अनुसार सिगनल एवं दूरसंचार उपस्करों के लिए डिस्कनेक्शन और रिकनेक्शन प्रणाली पर पुनः बल दिया गया है

8. लोको पायलटों की सतर्कता में सुधार लाने के लिए सभी रेलइंजनों में सतर्कता नियंत्रण उपकरण (वीसीडी) लगाए गए हैं।

9. मास्ट पर रेट्रो-रिफ्लेक्टिव सिग्मा बोर्ड उपलब्ध कराए जाते हैं, जो विद्युतीकृत क्षेत्रों में सिगनलों से दो शिरोपरि उपस्कर मास्ट से पहले मौजूद होता है ताकि कोहरे के मौसम के कारण दृश्यता कम होने पर चालकदल को आगे मौजूद सिगनल के बारे में सचेत किया जा सके।

10. कोहरे से प्रभावित क्षेत्रों में लोको पायलटों के लिए जीपीएस आधारित फॉग सेफ्टी डिवाइस (एफएसडी) उपलब्ध कराया जाता है जो लोको पायलटों को अगले थलचिह्नों यथा सिगनल, समपार रेलफाटकों आदि की दूरी जानने में समर्थ बनाते हैं।

11. प्राथमिक रेलपथ नवीकरण करते समय आधुनिक रेलपथ संरचना इस्तेमाल की जा रही है जिसमें 60 किलोग्राम, 90 चरम तन्य सामर्थ्य पटरियां, लचीले जुड़नारों के साथ प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट स्लीपर (पीएससी) सामान्य/चौड़ा आधार स्लीपर, पीएससी स्लीपरों पर पंखानुमा विन्यास के टर्नआउट, गर्डर पुलों पर स्टील चैनल/एच-बीम स्लीपर शामिल हैं।

12. मानवीय त्रुटियों का न्यूनीकरण करने के लिए पीक्यूआरएस, टीआरटी, टी-28 आदि जैसी रेलपथ मशीनों के उपयोग द्वारा रेलपथ बिछाने की गतिविधियों का यांत्रिकीकरण

12. रेलपथ नवीकरण की प्रगति बढ़ाने और जोड़ों के वेल्डन से बचने के लिए 130 मीटर/260 मीटर लंबे पटरी पैनलों की आपूर्ति को अधिकतम करना, जिसके द्वारा संरक्षा में सुधार होता है।

14. दोष का पता लगाने और दोषपूर्ण पटरियों को समय पर हटाने के लिए पटरियों का पराश्रव्य दोष संसूचन परीक्षण (यूएसएफडी)।

15. अधिक लंबी पटरियां बिछाना, एल्यूमिनो थर्मिक वेल्डन के उपयोग को कम करना और पटरियों के लिए बेहतर वेल्डन तकनीक अर्थात फ्लैश बट वेल्डन को अपनाना।

16. ओएमएस (दोलन निगरानी प्रणाली) और टीआरसी (रेलपथ अभिलेखी यानों) द्वारा रेलपथ ज्यामिति की निगरानी।

17. वेल्डन/पटरियों की दरारों का पता लगाने के लिए रेल पटरियों पर गश्त लगाना।

18. टर्नआउट नवीकरण कार्यों में थिक वेब स्विच और वेल्डन योग्य सीएमएस पारणों का उपयोग।

19. संरक्षा पद्धतियों के अनुपालन हेतु कर्मचारियों की निगरानी और जागरूक करने के लिए नियमित अंतराल पर निरीक्षण किए जाते हैं।

20. रेलपथ परिसंपत्तियों की वेब आधारित ऑनलाइन निगरानी प्रणाली अर्थात युक्तिसंगत अनुरक्षण आवश्यकता का निर्णय लेने और साधन-सामग्री को इष्टतम बनाने के लिए रेलपथ डेटाबेस और निर्णय सहायता प्रणाली को अपनाया गया है।

21. रेलपथ की संरक्षा संबंधी मुद्दों अर्थात् एकीकृत ब्लॉक, गलियारा ब्लॉक, कार्यस्थल संरक्षा, मानसून पूर्वोपाय आदि के संबंध में विस्तृत अनुदेश जारी किए गए हैं।

22. रेलगाड़ियों का संरक्षित परिचालन सुनिश्चित करने के लिए रेल परिसंपत्तियों (सवारी डिब्बों एवं मालडिब्बों) का निवारक अनुरक्षण किया जाता है।

23. पारंपरिक सडिका डिजाइन के रेल डिब्बों को एलएचबी डिजाइन के रेल डिब्बों से बदला जा रहा है।

24. जनवरी 2019 तक बड़ी लाइन मार्ग पर बिना चौकीदार वाले सभी समपारों को समाप्त कर दिया गया है।

25. पुलों का नियमित निरीक्षण करके रेल पुलों की संरक्षा सुनिश्चित की जाती है। इन निरीक्षणों के दौरान आंकी गई दशाओं के आधार पर पुलों की मरम्मत/पुनर्स्थापन कार्य किया जाता है।

26. भारतीय रेल ने सभी सवारी डिब्बों में यात्रियों की व्यापक सूचना के लिए सांविधिक "अग्नि सूचनाएं" प्रदर्शित की गई हैं। प्रत्येक सवारी डिब्बे में आग संबंधी पोस्टर लगाए गए हैं ताकि यात्रियों को आग लगने की रोकथाम करने के लिए 'क्या करें' और 'क्या न करें' के बारे में शिक्षित और सचेत किया जा सके। इसमें सवारी डिब्बों के भीतर ज्वलनशील वस्तुएँ, विस्फोटकों को नहीं ले जाने, धूम्रपान नहीं करने, जुर्माना आदि से संबंधित संदेश शामिल हैं।

27. उत्पादन इकाइयां नवनिर्मित पावर कारों और रसोई यानों में आग संसूचन एवं शमन प्रणाली तथा नवनिर्मित सवारी डिब्बों में आग एवं धूम्र संसूचन प्रणाली उपलब्ध करा रही हैं। क्षेत्रीय रेलों द्वारा मौजूदा सवारी डिब्बों में चरणबद्ध विधि से उत्तरोत्तर फिटमेंट किया रहा है।

28. कर्मचारियों को नियमित परामर्श और प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

29. दिनांक 30.11.2023 की राजपत्र अधिसूचना के तहत भारतीय रेल (चालित लाइन) साधारण नियम में चलायमान ब्लॉक प्रत्यय की शुरूआत की गई थी, जिसमें चलायमान आधार पर अग्रिम में 52 सप्ताह तक परिसंपत्तियों के एकीकृत अनुरक्षण/मरम्मत/ प्रतिस्थापन के कार्य की योजना बनाई जाती है और योजना के अनुसार निष्पादित किया जाता है।

रेलवे द्वारा किए गए बेहतर अनुरक्षण पद्धतियों, प्रौद्योगिकीय सुधारों, बेहतर अवसंरचना और चल स्टॉक आदि के संबंध में संरक्षा संबंधी कार्यों का ब्यौरा निम्नानुसार सारणीबद्ध है:

क्र.सं.	मद	2004-05 से 2013-14	2014-15 से 2024-25	2004-14 की तुलना में 2014-25
प्रौद्योगिकीय सुधार				
1.	उच्च-गुणवत्ता वाली पटरियों का उपयोग (60 किलोग्राम) (किलोमीटर)	57,450 किलोमीटर	1.43 लाख किलोमीटर	2 गुना से अधिक
2.	अधिक लंबी रेल पटरियां (260 मीटर) (किलोमीटर)	9,917 किलोमीटर	77,522 किलोमीटर	लगभग 8 गुना
3.	इलेक्ट्रोनिक अंतर्पाशन (रेलवे स्टेशन)	837 स्टेशन	3,691 स्टेशन	4 गुना से अधिक
4.	कोहरा पास संरक्षा उपकरण (अदद)	31.03.14 तक 90 अदद	31.03.25 तक 25,939	288 गुना
5.	थिक वेब स्विच (अदद)	शून्य	28,301 अदद	
बेहतर अनुरक्षण पद्धतियां				
1.	प्राथमिक रेल नवीकरण (रेलपथ किलोमीटर)	32,260 किलोमीटर	49,941 किलोमीटर	1.5 गुना
2.	यूएसएफडी (पराश्रव्य दोष संसूचन) वेल्डन परीक्षण (अदद)	79.43 लाख	2 करोड़	2 गुना से अधिक
3.	वेल्डन की खराबियां (अदद)	2013-14 में: 3699 अदद	2024-25 में: 370 अदद	90% कमी
4.	पटरियों में दरारें (अदद)	2013-14 में: 2548 अदद	2024-25 में: 289 अदद	88% से ज्यादा कमी
बेहतर अवसंरचना और चल स्टॉक				
1.	जोड़े गए नए रेलपथ किलोमीटर (रेलपथ किलोमीटर)	14,985 किलोमीटर	34,428 किलोमीटर	2 गुना से अधिक

2.	फ्लाईओवर (आरओबी)/ अंडरपास (आरयूबी) (अदद)	4,148 अदद	13,808 अदद	3 गुना से अधिक
3.	बड़ी लाइन पर बिना चौकीदार वाले समपार (अदद)	31.03.14 तक: 8948	31.03.24 तक: शून्य (31.01.19 तक सभी समाप्त कर दिए गए)	समाप्त कर दिए गए
4.	एलएचबी सवारी डिब्बों का विनिर्माण (अदद)	2,337 अदद	42,677	18 गुना से अधिक

<u>सुरक्षा</u>:

रेलगाड़ियों और स्टेशनों में यात्रियों की संरक्षा व सुरक्षा के लिए रेलवे द्वारा राजकीय रेल पुलिस के साथ समन्वय करके निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:-

1. **संवेदनशील और चिह्नित मार्गों/खंडों पर, विभिन्न राज्यों की राजकीय रेल पुलिस द्वारा प्रतिदिन रेलगाड़ियों के मार्गरक्षण के अलावा रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलगाड़ियों का मार्गरक्षण किया जाता है।**
2. **तत्काल सहायता के लिए यात्री सीधे रेल मदद पोर्टल पर या हेल्पलाइन नंबर 139 [इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम (ईआरएसएस) नंबर 112 के साथ एकीकृत] के माध्यम से शिकायत कर सकते हैं।**
3. **यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने और उनकी सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए रेलवे ट्विटर और फेसबुक जैसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से यात्रियों के साथ नियमित संपर्क में रहती है।.**
4. **अधिकांश सवारी डिब्बों में और रेलवे स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी रखी जाती है।**
5. **चोरी, छीना-झपटी, ज़हरखुरानी आदि के तहत सावधानी बरतने के लिए यात्रियों को सचेत करने के लिए जन उद्घोषणा प्रणाली के माध्यम से लगातार घोषणाएं की जाती हैं।**

6. मेरी सहेली' पहल के तहत, लंबी दूरी की रेलगाड़ियों में अकेले यात्रा करने वाली महिला यात्रियों की संपूर्ण यात्रा अर्थात् प्रारंभिक स्टेशन से गंतव्य स्टेशन तक संरक्षा व सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
7. रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था की नियमित निगरानी और समीक्षा के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के संबंधित पुलिस महानिदेशक/आयुक्त की अध्यक्षता में सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्य स्तरीय रेलवे सुरक्षा समिति (एसएलएससीआर) गठित की गई है।

<u>सवारी डिब्बों में संरक्षा</u>:

चल स्टॉक का मूलभूत डिज़ाइन विभिन्न संरक्षा प्रावधानों और यात्री सुविधाओं आदि को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। इसके अलावा, भारतीय रेल पर संरक्षा और सुविधाओं को बढ़ाने के लिए सवारी डिब्बों का आशोधन और उन्नयन करना सतत् और निरंतर प्रक्रिया है। सवारी डिब्बों में संरक्षा के सुधार के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

1. भारतीय रेल के सभी सवारी डिब्बों में कम से कम दो अग्निशामक यंत्रों का प्रावधान।

2. पावर कारों और पैंट्री कारों के आग लगने वाले संभावित क्षेत्रों में अग्नि संसूचन प्रणाली प्रदान की गई है।

3. मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार, सवारी डिब्बों में अग्नि और धुआं संसूचन प्रणाली प्रदान की गई है।

4. पैंट्री कारों और पावर कारों में चरणबद्ध तरीके से वॉटर मिस्ट प्रकार की अग्नि शमन प्रणाली प्रदान की जा रही है।

5. सवारी डिब्बों में आग लगने की स्थिति में निकासी के लिए आपातकालीन खिड़कियों का प्रावधान।

6. बेहतर अग्नि संरक्षा के लिए सवारी डिब्बों में सीटों/बर्थ, पैनलों, फर्श, इन्सुलेशन, शौचालय आदि के लिए वैश्विक अग्निरोधी मानदंडों के अनुसार अग्निरोधी सामग्री का उपयोग।

7. सवारी डिब्बों में अग्निरोधी ई-बीम केबल का उपयोग।

8. विद्युत सर्किटों में विद्युतीय खामियों/सर्ज से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए फ़्यूज़, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर और मोटर सुरक्षा सर्किट ब्रेकर के रूप में सुरक्षा के विभिन्न स्तरों पर उपयोग।

9. विद्युतीय कैबिनेट में एरोसोल आधारित अग्नि शमन प्रणाली का प्रावधान।

10. इसके अलावा, अमृत भारत और वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ियों में नए उत्पाद की सामग्री संस्थापित करने के साथ वैश्विक मानकों के अनुरूप सामग्री का उन्नयन नियमित रूप से किया जा रहा है।

11. आग से बचाव के लिए विभिन्न "क्या करें" और "क्या न करें" के बारे में यात्रियों को सूचित और सतर्क करने के लिए सभी सवारी डिब्बों में व्यापक जानकारी के लिए "अग्नि सूचना" प्रदर्शित करना। इनमें कोई भी ज्वलनशील पदार्थ, विस्फोटक न ले जाने, रेलगाड़ी के अंदर धूम्रपान पर प्रतिबंध और दंड आदि के बारे में संदेश शामिल होते हैं।

12. सवारी डिब्बों में आग जलाकर खाना पकाने पर प्रतिबंध।

विभिन्न संरक्षा उपकरणों/घटकों का निर्धारित आवधिकता के अनुसार उचित रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए डिपुओं/शेडों में नामित अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से अनुरक्षण किया जाता है।
